



F-07-08

F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION
IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलुरु
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU - 560 037

वर्ग अनुमोदन सं. 1283 का संशोधन सहित नवीकरण

Amendment cum Renewal of Type Approval Number: 1283

विषय/Sub: एसी मास्टर बॉक्स (एसीएमबीएक्स-6), पार्ट सं. 2289 00 000

AC Master Box (ACMBX-6), Part Number: 2289 00 000

यह घोषित किया जाता है कि " एसी मास्टर बॉक्स ", पार्ट सं. 2289 00 000 को एरोस्पेस सिस्टम्स एंड इक्विपमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर (ए एस ई आर डी सी), मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, असेसरीज़ प्रभाग, लखनऊ - 226 016 द्वारा अभिकल्पित, विकसित एवं उत्पादित किया गया था। इसको संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1283, दिनांक 13 सितंबर 2007 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1283 जारी किया गया था। तदुपरान्त संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1283/1आर, दिनांक 21 जून 2012 द्वारा नवीकरण किया गया था जिसकी वैधता 30 जून 2017 तक थी। संदर्भ सं. सिलैक/5070/52 टीएएस/एडीएम-1, दिनांक 28 जून 2013 के परिशिष्ट-1 द्वारा अतिरिक्त परिवर्तन का अनुमोदन किया गया था।

This is to state that the "AC Master box" bearing the Part Number: 2289 00 000, designed, developed and manufactured by Aerospace Systems and Equipment Research & Development Centre (ASERDC), M/s Hindustan Aeronautics Limited, Accessories Division, Lucknow - 226 016. This was issued with Type Approval Number: 1283 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1283, dated: 13th September 2007. The approval was subsequently renewed vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1283/1R, dated: 21st June 2012 with validity up to 30th June 2017. Further, changes were approved vide Appendix I Ref. No.: CEMILAC/5070/52 TAs/Adm-1, dated: 28th June 2013.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 सितम्बर 2017 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा 31 अगस्त 2022 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (लखनऊ), लखनऊ - 226 016 से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st September 2017 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st August 2022 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Lucknow), Lucknow – 226 016, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए- 1283, दिनांक 13 सितंबर 2007 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद चार (04) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para four (04) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1283 dated: 13th September 2007 is amended as stated herewith.

“ [अगर टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूर की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।”

“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru-560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]”.

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगे।


All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.

सं. /No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA-1283/2R

दिनांक/Date : 22 September 2017

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856




पी. जयपाल / P. JAYAPAL
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)
Chief Executive (Airworthiness)